# न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या :– 31 / 2020–21

| आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी |
|---|---|---|
| 1<br>19/4/22 | आवेदक नकुल मुण्डा, पिता – स्व0 किनु मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम– बसिया मुण्डाटोली, थाना – बसिया, जिला– गुमला ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया। | |

**भूमि का विवरणी**

| राजस्व ग्राम | थाना सं0 | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकबा | जमीन किस्म |
|---|---|---|---|---|---|
| बसिया | 50 | 117 | 1401 | 0.080 | टांड़ |

**कुल 0.80 एकड़ (अस्सी डिसमील)**

**प्लॉट सं0 1401 का चौहदी :–** उत्तर में – बुटवा मुण्डा का टांड, दक्षिण में – गैरमजरूआ जमीन, पूरब में – प्लॉट सं0 1468, पश्चिम में – बुटवा मुण्डा वो बालकु मुण्डा का टांड।

**जमीन विक्रेता का विवरणी**

नकुल मुण्डा, पिता – स्व0 किनु मुण्डा, जाति मुण्डा, ग्राम– बसिया मुण्डाटोली थाना – बसिया, जिला– गुमला ।

**जमीन क्रेता का विवरणी**

नमिता सुरीन पति श्री जितन्द्र भगत, जाति मुण्डा, ग्राम दिवानटोली बसिया, थाना बसिया, जिला गुमला।

आवेदक द्वारा आवेदित भूमि को प्रस्तावित क्रेता नमिता सुरीन पति श्री जितन्द्र भगत, जाति मुण्डा, ग्राम दिवानटोली बसिया, थाना बसिया, जिला गुमला को आवेदक अपना मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी के लिए उपरोक्त भूमि को बिक्री करने हेतु इस कार्यालय में अनुमति वाद दाखिल किया गया था। दाखिल आवेदन के आलोक में आवेदित भूमि का जॉच प्रतिवेदन अंचल बसिया से मांग किया गया एवं अनापत्ति हेतु आम इस्तिहार निर्गत किया ।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बसिया

निर्गत आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, उक्त वाद में अब तक किसी अन्य के द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल बसिया से जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त है। आवेदन द्वारा दाखिल अनुमति वाद के संबंध में न्यायालय में अनुपस्थित रहे है।

पुनः आवेदक को उक्त दाखिल अनुमति वाद के संबंध में एक पक्ष के अंदर अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 10/03/2022 को नोटिस निर्गत किया। आवेदक नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु अनुपस्थित रहे है।

आवेदक द्वारा उक्त अनुमति वाद में अपना पक्ष रखने हेतु न्यायालय में अनुपस्थिंत रहने से प्रतीत होता है कि आवेदक को उक्त अनुमतिवाद के संबंध में कुछ नहीं कहना है।

अतः आवेदक के द्वारा दाखिल अनुमति वाद में अभिरूची नहीं लेना एवं निर्गत अंतिम नोटिस के पश्चात न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु अनुपस्थित रहने के कारण उक्त अनुमति वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

भूमि सुधार उप – समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)।

भूमि सुधार उप – समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.08.12 14:13:04 +05:30
Location: 192.168.0.112